



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 5069 / 13 सी०

दिनांक 23/12 /2019

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्ठी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
ऑनलाईन प्रपोजल सं०:- (FP/UK/ROAD/37828/2018)

सन्दर्भ:- तकनीकी अधिकारी (वानिकी) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 8बी०यू०सी०पी०/06/173/2019/एफ०सी०/1784 दि० 08-11-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगायी गयी ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् कर दिया गया है:-


Sl. No	Objections	Clarifications
1	FRA certificate submitted/uploaded is for area 0.006 ha instead of 0.06 ha. Hence the State govt. may upload/submit the correct FRA certificate duly c/s by issuing authority.	The corrected FRA for 0.06 ha duly c/s by issuing authority is uploaded online in para - K(ii) of Part -I of Form A and the original copy is being attached with this letter.
2	State govt. may submit the land schedule duly c/s by DFO to this office.	The Land Schedule duly c/s by DFO is uploaded online in Additional info. files of Part -I of Form A and the original copy is being attached with this letter.
3	State govt. may submit the DFO's Site Inspection Report in original to this office.	The DFO's Site Inspection Report is uploaded online in Additional info. files of Part -I of Form A and the original copy is being attached with this letter.
4	As per details filled in component wise breakup, details of approach road are not submitted by the State govt. and in muck disposal plan, it is mentioned that muck will be utilized in approach road. Therefore, the state govt. may clarify the same and submit the details of approach road.	The Details of approach road is resubmitted online in component wise breakup in para - B 2.4 of Part -I of Form A, the muck disposal plan is uploaded online in Additional info. files of Part -I of Form A and the original copies of the above are being attached with this letter.
5	Justification uploaded at para-D found incomplete. State govt. may upload/submit the complete justification of the requirement to this office.	The Revised Justification is uploaded online in para - D(i) of Part -I of Form A and the original copy is being attached with this letter.
6	Plantation scheme of only 60 trees submitted instead of 100 trees. Hence, the state govt. may submit the correct plantation scheme.	The Revised Plantation scheme for 100 trees is uploaded online in Additional info. files of Part -I of Form A and the original copy is being attached with this letter.
7	Name of the proposal mentioned in Part V is incomplete. therefore, the state govt. may fill the complete name of proposal in Part -v	The correction is to be made by The State Govt.

क्र०सं० 2 पर

8	राज्य सरकार alignment of area except bridge हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	The alignment of area except bridge is mentioned in detail of Length and width certificate of the project which is uploaded online in Additional info. files of Part -I of Form A and the original copy is being attached with this letter.
---	--	---

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

- संलग्न:—**
- 1- FRA प्रमाण-पत्र 2 न०
 - 2- लैण्ड शेड्यूल 2 न०
 - 3-DFO's Site Inspection Report 1 न०
 - 4-मक डिस्पोजल प्लान 1 न०
 - 5-वनभूमि के औचित्य का प्रमाण-पत्र 1 न०
 - 6-वृक्षारोपण योजना का प्रावकलन 2 न०
 - 7-लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र 1 न०

भवदीय,

 Jyoti Shastri अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

पत्रांक 5069 / 13 सी०

दिनांक 23/12/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून। (संलग्न समस्त प्रपत्र मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में)
- 2- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, 7वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

अधीक्षण अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
 ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated. 19/12/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.060 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction of 100 m span Motor Bridge over Mandakini River at Chandrapuri Gabnigaon to connect Haat Basti Motor Road to NH - 107 (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Gabnigaon villages in *Ukhimath* tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.060 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature



District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

District Magistrate
Rudraprayag


प्रपत्र-30.1

Annexure -

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.****Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mangesh Ghildiyal** District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 19/12/2018 at time 12:30 in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.060 hectare for the **Construction of 100 m span Motor Bridge over Mandakini River at chandrapuri Gabnigaon to connect Haat Basti Motor Road to NH - 107** in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.


District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

District Magistrate
Rudraprayag


लैन्ड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम:— जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्ठी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।


जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है०)
←			शून्य			→



अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिकांसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उप निरीक्षक



तहसीलदार
ऊखीमठ

रुद्रप्रयाग



उप निरीक्षक
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग



वनक्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि



प्रभारित वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
ऊखीमठ
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग




जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग


लैन्ड शेड्यूल

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्ठी मोटर मार्ग को एन० एच० 107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी -सिविल एवं सोयम भूमि (10(4) में दर्ज)


जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
रुद्रप्रयाग	उखीमठ	अगस्त्यमुनी	429	1.413	18.00	12.00	0.0216
					20.00	12.00	0.0240
					20.00	7.20	0.0144
					योग वन भूमि		0.0600



अमीन
लो० नि० वि०
उखीमठ



किशन अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ



सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ


अधिशसी अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ



राजेश उपनिरीक्षक
उखीमठ


तहसीलदार
उखीमठ


उपजिलाधिकारी
उखीमठ


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनी


तहसीलदार
उखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Construction Division P.W.D. Ukhimath** (for diversion under FCA-1980) of **0.06 ha.** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Construction of Motor bridge in Haat-Basti Motor Road.** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **20-02-2019.**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF / PF / un-classed/Other forests measuring **0.06 ha. (0.06 ha. Revenue Forest Land)**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **No**

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **No**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes**

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **No**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommend in the Public Interest.

(Signature)



Place:- **Rudraprayag**

Name - (Mayank Shekhar Jha)

Designation - D.C.F

Date :- **20-02-2019**

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.


MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्ठी मोटर मार्ग को एन० एच० 107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

Left Side Abutment is in Forest land and rests on River bed while Right side Abutment is in Naap Land and rests on Slopy Terrain in Rock.

- Muck Received from Foundation for LHS Abutment = $12 (L) \times 12 (w) \times 6 (d) =$ 864 cum
- Muck Received from Foundation for RHS Abutment = $1/2 \times 12 (L) \times 12 (w) \times 4 (d) =$ 288 cum
- Muck Received from Foundation for LHS Approach wall = $2 \times 20 (L) \times 3 (w) \times 4 (d) =$ 480 cum
- Muck Received from excavation of Protection work on LHS = $2 \times 12 (L) \times 3 (w) \times 3 (d) =$ 216 cum
- Total Muck Received from Foundations = $864 + 288 + 480 + 216 =$ 1848 cum
- Total Muck after swelling (Let 20% swell factor for sandy soil) = $1848 \times 1.20 =$ 2218 cum
- Filling Required in Approach Road LHS = $20 (L) \times 6 (w) \times 15 (h) =$ 1800 cum
- Filling inside cellular Abutment LHS (60% of area) = $0.60 \times 12 (L) \times 12 (w) \times 15 (h) =$ 1296 cum
- Filling inside cellular Abutment RHS (60% of area) = $0.60 \times 12 (L) \times 12 (w) \times 8 (h) =$ 691 cum
- Total Filling Required = $1800 + 1296 + 691 =$ 3787 cum

Since total muck received (2218 cum) is less than total filling required (3787 cum), hence all the muck will be utilized in the project.



कनिष्ठ अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ

सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ

अधिशायी अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनी
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन सहायक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


वनभूमि की मांग का औचित्य


परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्ठी मोटर मार्ग को एन० एच० 107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।


जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 107 (पूर्व में 109) (रुद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग) के कि०मी. 23.00 में मन्दाकिनी नदी के बांयी तरफ गवनी गांव स्थित है। गवनी गांव में मन्दाकिनी नदी के दांयी तरफ से हाट-बष्ठी मोटर मार्ग (लम्बाई 18.00 कि०मी.) प्रारम्भ होकर विभिन्न ग्रामों जैसे हाट, बष्ठी आदि को जोड़ता है। इस स्थान पर लो०नि०वि० द्वारा मन्दाकिनी नदी पर मानसून के उपरान्त अस्थाई पैदल सेतु लगाया जाता है जिसे मानसून से पूर्व हटा दिया जाता है। उक्त मोटर मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य कोई स्थाई संयोजकता न होने के कारण इन ग्रामों की जनता को ब्लाक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पहुंचने के लिये औसतन लगभग 15 कि०मी. का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। उक्त स्थान पर सेतु के बनने से हाट-बष्ठी मोटर मार्ग, रुद्रप्रयाग - गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने पर वैकल्पिक मोटर मार्ग के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा जो कि चारधाम यात्राकाल में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग केदारनाथ धाम का मुख्य मोटर मार्ग है साथ ही उक्त सेतु के बनने से ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को भी संयोजकता प्रदान होगी।

अतः कार्य की महत्ता को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थान पर 100 मी० मोटर सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके उपरान्त सेतु के निर्माण के लिये स्थल पर विस्तृत सर्वेक्षण किया गया एवं पाया गया कि सेतु के लिये बांयी तरफ वनभूमि का उपयोग किया जाना निश्चित है क्योंकि इस तरफ अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है तदुपरान्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया। वनभूमि का चयन करते हुये इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सेतु के निर्माण से वन सम्पदा को कम से कम क्षति हो। इस प्रकार चयनित वनभूमि मात्र 0.06 हैक्टेयर है एवं वृक्षविहीन है अर्थात् इस परियोजना के निर्माण में एक भी वृक्ष का पातन नहीं होना है।


अतः इस परियोजना के लिये उपरोक्तानुसार 0.06 हैक्टेयर वनभूमि की मांग औचित्यपूर्ण है।


कनिष्ठा अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ


सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ


अधिरासी अभियन्ता
लो० नि० वि०
उखीमठ


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन सहायक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्ठी मोटर मार्ग-ओ एन0एच0-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 100

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज - अगस्त्यमुनि रेंज

प्रथम चरण					
क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रु0)	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.060	है0	115.000	6.900
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.060	है0	3730.000	223.800
3	ट्री गार्ड क्रय करना	100	सं0	1500.000	150000.000
4	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	100	गडढा	7.950	795.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	100	पौध	6.200	620.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना, वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकता अनुसार गडढे खोदना	0.060	है0	915.000	915.000
7	अन्य कार्य	0.060	है0	450.000	450.000
योग - प्रथम चरण					153010.700
द्वितीय चरण					
1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	100	पौध	1.42	142.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	100	पौध	1.80	180.00
3	100 बैग पौध का ढुलान वाहन से 25 कि0मी0	100	पौध	9.00	225.00
4	ट्री गार्ड ढुलान करना	100	L.S.	175.000	17500.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	100	L.S.	145.000	14500.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	100	पौध	2.77	277.00
7	खाद व दवा पर व्यय	0.060	है0	1200.00	72.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
9	8.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशीलपदार्थों को हटाना प्रति है0	0.060	है0	1887.00	1887.00
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	0.060	है0	1100.00	1100.00
11	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
योग- द्वितीय चरण					36826.20
योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण					189836.90
तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ. प्रशिक्षण	0.060		519.00	519.00
3	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
योग- तृतीय चरण					1462.20
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
योग- चतुर्थ चरण					943.20

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
योग— पंचम चरण					943.20
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
छठवां चरण का योग :-					943.20
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
सातवां चरण का योग :-					943.20
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
आठवां चरण का योग :-					943.20
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
नवें चरण का योग :-					943.20
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
दसवें चरण का योग :-					943.20
कुल योग—					197901.50
कुल धनराशि					
प्रथम चरण					153010.70
द्वितीय चरण					36826.20
तृतीय चरण					1462.20
चतुर्थ चरण					943.20
पंचम चरण					943.20
षष्ठम चरण					943.20
सप्तम चरण					943.20
अष्टम चरण					943.20
नवम् चरण					943.20
दसवें चरण					943.20
कुल योग					197901.50
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु देय दर = 1210.00 रु0/पौध		100	1210.00	121000.00	

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण

रियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्ठी मोटर मार्ग को एन० एच० 107 से जोडने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	कुल क्षेत्रफल (है०)
1	आरक्षित वन भूमि	0.00	0.00	0.00
2	सिविल सोयम भूमि			
	बांया एवटमेन्ट एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु	18.00	12.00	0.0216
	पहुंच मार्ग हेतु	20.00	12.00	0.0240
	सेतु हेतु	20.00	7.20	0.0144
3	वन पंचायत भूमि	0.00	0.00	0.00
4	वन भूमि का योग			0.060
5	नाप भूमि	12.00	12.00	0.0144
	कुल योग-			0.0744




 कनिष्ठ अभियन्ता
 लो० नि० वि०
 उखीमठ


 सहायक अभियन्ता
 लो० नि० वि०
 उखीमठ


 अधिशासी अभियन्ता
 लो० नि० वि०
 उखीमठ